2024(2) eILR(PAT) HC 1781

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

डॉ. कुमार चंदन

बनाम

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य

2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 20694
में
2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 318
[के साथ 2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार सं. 20694
में
2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 373]
09 फरवरी, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली और माननीय न्यायामूर्ति श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या सीडब्ल्यूजेसी संख्या 20694/2018 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश, जिसमें सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार है या नहीं?

हेडनोट्स

सेवा कानून—नियुक्ति/चयन—अस्वीकार—विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने के बाद प्राधिकरण को सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए उत्तरवादी संख्या 4 (318 में) के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया—शैक्षणिक क्षेत्र में नियुक्तियों के मामले में, न्यायालय आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं करता है—याचिकाकर्ता (20694 में)-सह-उत्तरवादी संख्या 4 (318 में) ने योग्यता/चयन सूची को चुनौती नहीं दी और केवल निजी प्रतिवादियों-सह-अपीलकर्ता (318 में) की नियुक्ति के बारे में शिकायत उठाई—विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से पता चलता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता (20694 में)-सह-उत्तरवादी संख्या 4 (318 में) के गुण और दोषों की बारीकी से जांच की है; और निजी उत्तरवादी-सह-अपीलकर्ता (318 में) और उसके बाद निष्कर्ष दर्ज किए कि एक विशेष शीर्षक के तहत, चयन समिति को याचिकाकर्ता को विशेष अंक प्रदान करने चाहिए थे और मूल निजी प्रतिवादियों को विशेष शीर्षकों

के तहत अंक नहीं देने चाहिए थे—इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त अभ्यास को अंजाम देकर चयन समिति के फैसले पर अपील की है।

निर्णीत: शैक्षणिक क्षेत्र में नियुक्तियों के मामले में, न्यायालय सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करता है और न्यायालय को चयन समिति का गठन करने वाले विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय और उसकी संस्तुति पर उचित ध्यान देना चाहिए—चयन समिति के निर्णय में केवल सीमित आधारों पर हस्तक्षेप किया जा सकता है जैसे कि समिति के गठन में अवैधता या स्पष्ट अनियमितता या चयन को प्रभावित करने वाली इसकी प्रक्रिया या चयन को प्रभावित करने वाली सिद्ध दुर्भावनाएं आदि—सदस्यों के खिलाफ दुर्भावनाओं के अभाव में, चयन समिति द्वारा चयन पर संदेह नहीं किया जा सकता है—व्यवस्थित अनियमितता के अभाव में, जो चयन प्रक्रिया की वैधता को नकारता है, संपूर्ण चयन को रद्द नहीं किया जा सकता है—चयन समिति के निर्णयों पर अपील सुनना और उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता की जांच करना न्यायालयों का कार्य नहीं है, न्यायालय के पास ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं है- विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया विवाद में नहीं थी, विशेषज्ञ समिति की राय भी विवाद में नहीं थी—विवाद और नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान तय किए गए मानदंड भी विवाद में नहीं थे—विद्वान एकल न्यायाधीश ने आपत्तिजनक अभ्यास को इस तरह से अंजाम दिया है जैसे कि विद्वान एकल न्यायाधीश मूल याचिकाकर्ता-सह-उत्तरवादी संख्या 4 (318 में) द्वारा चयन समिति के निर्णय के खिलाफ दायर अपील का फैसला कर रहे थे—विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आपत्तिजनक आदेश को रद्द कर दिया गया—अपील स्वीकार की गई।

(पैराग्राफ 18, 30 से 33)

न्याय दृष्टान्त

संघ लोक सेवा आयोग बनाम एम. साथिया प्रिया एवं अन्य, **(2018) 15** एससीसी **796;** बैद्यनाथ यादव बनाम आदित्य नारायण रॉय एवं अन्य, **(2020) 16** एससीसी **799;** बसवैया बनाम डॉ. एच.एल. रमेश एवं अन्य, **(2010) 8** एससीसी **372;** दलपत अबासाहेब सोलुंके एवं अन्य बनाम डॉ. बी.एस. महाजन एवं अन्य, **(1990) 1** एससीसी **305;** ओम प्रकाश पोपलाई एवं राजेश कुमार माहेश्वरी बनाम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड एवं अन्य, **(1994) 2** एससीसी **117;**

सदानंद हेलो एवं अन्य बनाम मोमताज अली शेख एवं अन्य, **(2008) 4** एससीसी **619;** श्रीनिवास के. गौड़ा बनाम कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं अन्य, **(2022) 1** एससीसी **49;** बेदंगा तालुकदार बनाम सैफुदुल्लाह खान एवं अन्य, **(2011) 12** एससीसी **85;** बीजू के.के. बनाम कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोच्चि एवं अन्य, **(2022) 8** एससीसी **349;** दिसिमयी परिदा बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य, **(2008) 10** एससीसी **687;** ताजवीर सिंह सोढ़ी एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य, **2023** लाइव लॉ (एससी) **253—भरोसा किया गया।**

रमेश चंद्र शाह एवं अन्य बनाम अनिल जोशी एवं अन्य, (2013) 11 एससीसी 309; सजीश बाबू के. बनाम एन.के. संतोष एवं अन्य, (2012) 12 एससीसी 106; नीलिमा मिश्रा बनाम हरिंदर कौर पेंटल एवं अन्य, (1990) 2 एससीसी 746; भारत संघ एवं अन्य बनाम विकास कुंअर ने (2006) 8 एससीसी 192 में रिपोर्ट किया—**संदर्भित किया गया।**

अधिनियमों की सूची

सेवा मामला

मुख्य शब्दों की सूची

नियुक्ति; चयन; न्यायिक समीक्षा; शैक्षणिक मामले; विशेषज्ञ समिति; शैक्षिक क्षेत्र में नियुक्तियों का मामला।

प्रकरण से उत्पन्न

2018 की सीडब्लूजेसी संख्या 20694 से उत्पन्न ।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं 318)

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री प्रणव कुमार, अधिवक्ता; सुश्री सृष्टि सिंह,

आइ.जी.आइ.एम.एस. की अधिवक्ताः श्री एस. डी. यादव, ए. ए. जी.-1;श्री सुनील कुमार सिंह

प्रत्यर्थी संख्या 3 के अधिवक्ताः श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता; श्री मिथलेश कुमार, अधिवक्ता; सुश्री कुमारी रुचि, अधिवक्ता; श्री उत्सव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी संख्या-4 के लिएः श्री पीयूष लाल, अधिवक्ता; श्री रजनीकांत सिंह, अधिवक्ता; श्री राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री मनीष कुमार,

प्रतिनिधि संख्या-5 के अधिवक्ताः श्री बिपिन बिहारी, अधिवक्ता

(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 373 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिएः श्री एस. डी. यादव, ए. ए. जी-1;श्री सुनील कुमार सिंह,

उत्तरवादी संख्या-1 के अधिवक्ताः श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता; श्री मिथलेश कुमार, अधिवक्ता; सुश्री कुमारी रुचि, अधिवक्ता; श्री उत्सव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी संख्या-2 के लिएः श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री प्रणव कुमार, अधिवक्ता; सुश्री सृष्टि सिंह,

प्रत्यर्थी संख्या-3 की अधिवक्ताः श्री पीयूष लाल, अधिवक्ता; श्री रजनीकांत सिंह, अधिवक्ता; श्री राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री मनीष कुमार**,** अधिवक्ता

हेडनोट्स रिपोर्टर द्वारा बनाया गयाः आभाष चंद्रा**,** अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के के क्षेत्राधिकार में
2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 20694
में
2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 318

==========

डॉ. कुमार चंदन, पिता-शशि नाथ रॉय, निवासी, ग्राम और डाकघर-मथावा, पुलिस थाना-भरगामा, जिला-अरारिया, वर्तमान में ऑर्थोपेडिक्स इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, सहायक प्रोफेसर पटना ।

... ...अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. अपने निदेशक के माध्यम से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा, पटना-14 ।
2. आर्थोपेडिक्स विभाग के प्रमुख, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना।
3. डॉ. निशांत कश्यप, पिता-स्वर्गीय रामजनम प्रसाद साहू, निवासी-ब्लॉक-ए, फ्लैट नं-जी1, टेरेस गार्डनिया अपार्टमेंट, शिवशंभू कॉलोनी, एशियाना दीघा रोड, पटना।
4. डॉ. पवन कुमार, पिता-स्वर्गीय सुरेंद्र मोहन, निवासी, फ्लैट नं. ए-31, तीसरी मंजिल, जगत अजंता अपार्टमेंट, नया टोला, पटना-800004।
5. डॉ. इंद्रजीत कुमार बाबा कुटी-173, आनंदपुरी, देवी मंदिर के पास, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना।
6. डॉ. अभिजीत सुभाष पिता-डॉ. विनय कुमार 5ए/30, उत्तर, एस. के. पुरी, सहजानंद पथ, पटना-13 (बिहार)। वर्तमान में ऑर्थोपेडिक्स के सहायक प्रोफेसर, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना।

.....उत्तरवादी /ओं

==========

के साथ

2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार सं. 20694
में
2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 373

==========

1. निदेशक के माध्यम से इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा, पटना ।

2. आर्थोपेडिक्स विभाग के प्रमुख, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना।

... ...अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. डॉ. निशांत कश्यप पिता-स्वर्गीय रामजानम प्रसाद साहू, निवासी ब्लॉक-ए, फ्लैट संख्या-जी1, टेरेंस गार्डनिया अपार्टमेंट, शिवशंभू कॉलोनी, एशियाना दीघा रोड, पटना।

2. डॉ. कुमार चंदन, सहायक प्रोफेसर, ऑर्थोपेडिक्स, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना।

3. डॉ. पवन कुमार, पिता-स्वर्गीय सुरेंद्र मोहन, निवासी फ्लैट नंबर ए-31, 3 तीसरी मंजिल, जगत अजंता अपार्टमेंट, नया टोला, पटना-800004।

.....उत्तरवादी /ओं

==========

उपस्थिति :

(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं 318)

अपीलकर्ता/ओं के लिए:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
	श्री प्रणव कुमार, अधिवक्ता
	सुश्री सृष्टि सिंह,
आइ.जी.आइ.एम.एस. की अधिवक्ताः	श्री एस. डी. यादव, ए. ए. जी.-1
	श्री सुनील कुमार सिंह,
प्रत्यर्थी संख्या 3 के अधिवक्ताः	श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता
	श्री मिथलेश कुमार, अधिवक्ता
	सुश्री कुमारी रुचि, अधिवक्ता
	श्री उत्सव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या-4 के लिएः	श्री पीयूष लाल, अधिवक्ता
	श्री रजनीकांत सिंह, अधिवक्ता
	श्री राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता
	श्री मनीष कुमार,
प्रतिनिधि संख्या-5 के अधिवक्ताः	श्री बिपिन बिहारी, अधिवक्ता

(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 373 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए:	श्री एस. डी. यादव, ए. ए. जी-1
	श्री सुनील कुमार सिंह,
उत्तरवादी संख्या-1 के अधिवक्ताः	श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता
	श्री मिथलेश कुमार, अधिवक्ता
	सुश्री कुमारी रुचि, अधिवक्ता
	श्री उत्सव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या-2 के लिएः	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
	श्री प्रणव कुमार, अधिवक्ता
	सुश्री सृष्टि सिंह,
प्रत्यर्थी संख्या-3 की अधिवक्ताः	श्री पीयूष लाल, अधिवक्ता
	श्री रजनीकांत सिंह, अधिवक्ता
	श्री राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता
	श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता

==========

गणपूर्तिः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा

कैव निर्णय

(प्रतिःमाननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीखः09-02-2024

2023 का आई. ए. सं. 9

1. वर्तमान अंतरिम आवेदन वर्तमान उत्तरवादी संख्या 4/मूल याचिकाकर्ता द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLI नियम 27 के तहत इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि उसे अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में लेटर्स पेटेंट अपील को अभिलेख पर रखने की अनुमति दी जाए।

2. आवेदक/अपीलार्थी/मूल उत्तरवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता तथा वर्तमान प्रतिपक्षियों एवं मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

3. आवेदक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 28.11.2023 के संचार के अनुसार, डॉ. कुमार चंदन ने कॉलेज में अपना डीएनबी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और उन्हें एमबीबीएस डिग्री के आधार पर व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त तथ्य याचिका के निपटारे के बाद वर्तमान आवेदक के संज्ञान में आया और इसलिए, उक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता डॉ. कुमार चंदन ने धोखाधड़ी की है और प्रस्तुत दस्तावेजों से यह कहा जा सकता है कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। इसलिए, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि उपरोक्त दोनों दस्तावेजों पर विचार किया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, वर्तमान प्रतिपक्षियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उपरोक्त दस्तावेज विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे और इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त दस्तावेजों के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अब मूल प्रतिपक्षी संख्या 4 (आवेदक) द्वारा बिल्कुल नया आधार लिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को कमियों को भरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए वर्तमान आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए।

5. इसलिए, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि इस आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

6. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार किया है। हमने अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का भी अवलोकन किया है। यह सामने आया है कि डॉ. सचिन कुमार सिंह ने आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया था और उक्त आवेदन के अनुसरण में उन्हें कुछ संचार संबोधित किया गया था। आवेदक ने उन्हें प्राप्त सूचना के स्रोत को इंगित करने में विफल रहा है। आवेदक का यह मामला नहीं है कि उसने आर.टी.आई. अधिनियम के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत किया है और उसे डॉ. कुमार चंदन के संबंध में संचार प्राप्त हुआ है। अभिलेख से यह भी

पता चलता है कि वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक/मूल उत्तरवादी संख्या 4 ने अपील में इस न्यायालय के समक्ष एक पूरी तरह से नई कहानी पेश करने की कोशिश की है। यहां तक कि वर्तमान आवेदन में भी आवेदक ने मूल अपीलकर्ता डॉ. कुमार चंदन के खिलाफ किसी भी धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया है। उपरोक्त दोनों दस्तावेजों से पता चलता है कि यह पत्राचार डॉ. सचिन कुमार सिंह और आरटीआई अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी के बीच किया गया था।

7. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम वर्तमान आवेदन पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

8. तदनुसार, आई.ए. संख्या 9/2023 खारिज की जाती है।

2021 का एल. पी. ए. सं. 318 और 2021 का एल. पी. ए. सं. 373

ये दोनों अपीलें पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के क्लॉज एक्स के तहत दायर की गई हैं, जिसमें संबंधित अपीलकर्ताओं ने दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 20694/2018 (*डॉ. पवन कुमार बनाम इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अन्य*) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 05.03.2021 को दिए गए आदेश को चुनौती दी है।

2. चूंकि ये दोनों अपीलें एक ही आदेश से उत्पन्न हुई हैं और दोनों अपीलों में मुद्दा एक ही है, इसलिए पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने संयुक्त रूप से अनुरोध किया कि इन दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई की जाए और एक ही आदेश द्वारा निर्णय दिया जाए।

3. एल.पी.ए. संख्या 318/2021 मूल उत्तरवादी संख्या 4 डॉ. कुमार चंदन द्वारा दायर की गई है, जबकि एल.पी.ए. संख्या 373/2021 मूल उत्तरवादी संख्या 1 और 2 (इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना) द्वारा दायर की गई है। इस स्तर पर, यह भी ध्यान देने योग्य है कि आई.ए. संख्या 9/2023 मूल रिट याचिकाकर्ता (प्रतिपक्षी संख्या 4) द्वारा इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि उसे अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

4. वर्तमान अपील दायर करने के लिए संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

4.1.एल.पी.ए. संख्या 318/2021 के प्रतिद्वन्द्वी संख्या 4-मूल रिट याचिकाकर्ता ने शीर्षक सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 20694/2019 दायर किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की थी:-

> "याचिकाकर्ता उत्तरवादी संख्या 3 और 4 दिनांक 19.09.2019 की नियुक्ति के आदेश को रद्द करने और निरस्त करने के लिए यह रिट आवेदन दायर कर रहा है, जो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक के हस्ताक्षर से जारी किया गया है, साथ ही प्रतिवादियों को विज्ञापन संख्या 04/संकाय/आईजीआईएमएस/स्थापना/2018 के अनुसार सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का आदेश देने के लिए एक और परमादेश रिट के लिए भी आवेदन कर रहा है; कृपया इस तरह के अन्य आदेश, निर्देश, निर्देश पारित करने की कृपा करें, जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।"

4.2.इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (जिसे आगे 'आई.जी.आई.एम.एस.' कहा जाएगा) ने वर्ष 2018 में अन्य के अलावा सहायक प्रोफेसर (ऑर्थोपेडिक्स) के पद के लिए विज्ञापन संख्या 04/संकाय/आई.जी.आई.एम.एस./स्थापना/2018 प्रकाशित किया था। कुल 4 पद विज्ञापित किए गए थे, 3 पद यू.आर. श्रेणी के लिए और 1 पद एस.सी. श्रेणी के लिए। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होने के कारण उसे 03.07.2018 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब 19.09.2018 को परिणाम प्रकाशित हुआ, तो याचिकाकर्ता ने पाया कि उसका नाम प्रतीक्षा सूची में है। मूल उत्तरवादी संख्या 3 और 4 को ऑर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर (यू.आर. श्रेणी) के पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया था। इसलिए याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर मूल उत्तरवादी संख्या 3 और 4 की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी कि उनके पास याचिकाकर्ता की तुलना में कम योग्यता और कम अनुभव है, फिर भी उन्हें नियुक्त किया गया।

4.3.विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिलेख पर रखी गई सामग्री और पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद मूल याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दे दी और इस प्रकार मूल उत्तरवादी संख्या 4 की नियुक्ति को रद्द कर दिया और मूल उत्तरवादी संख्या 1 और 2 को आदेश की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सहायक प्रोफेसर (ऑर्थोपेडिक्स, आई.जी.आई.एम.एस. पटना) के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया। मूल उत्तरवादी संख्या 4 ने एल.पी.ए. संख्या 318/2021 दायर किया है जबकि आई.जी.आई.एम.एस. ने एल.पी.ए. संख्या 373/2021 को प्राथमिकता दी है।

5. एल.पी.ए. संख्या 318/2021 में अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाई.वी. गिरि को सुना, जिनकी सहायता श्री प्रणव कुमार, सुश्री सृष्टि सिंह, श्री एस.डी. यादव ने की, जिनकी सहायता आई.जी.आई.एम.एस. की ओर से श्री सुनील कुमार सिंह ने की, उत्तरवादी संख्या 3 के लिए श्री संतोष कुमार ने श्री मिथिलेश कुमार, सुश्री कुमारी रुचि और श्री उत्सव ने की, उत्तरवादी संख्या 4 के लिए श्री पीयूष लाल ने श्री रजनीकांत सिंह, श्री राकेश कुमार सिंह और श्री मनीष कुमार ने की और उत्तरवादी संख्या 5 के लिए श्री बिपिन बिहारी को सुना। हमने एल.पी.ए. में श्री एस.डी. यादव को भी सुना है। 2021 की संख्या 373 के तहत उत्तरवादी संख्या 1 के लिए श्री सुनील कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार, श्री मिथिलेश कुमार, सुश्री कुमारी रुचि और श्री उत्सव की सहायता से, उत्तरवादी संख्या 2 के लिए श्री वाई.वी. गिरि, श्री प्रणव कुमार और सुश्री सृष्टि सिंह की सहायता से और उत्तरवादी संख्या 3 के लिए श्री पीयूष लाल, श्री रजनीकांत सिंह, श्री राकेश कुमार सिंह और श्री मनीष कुमार की सहायता से।

6. संबंधित अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि रिट याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है, इसलिए उसे चयन प्रक्रिया, अपनाई गई चयन पद्धति और उसके परिणाम पर आपत्तियां उठाने से रोका जाना चाहिए। उक्त तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रमेश चंद्र शाह एवं अन्य बनाम अनिल जोशी एवं अन्य** के मामले में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है, जो **(2013) 11**

एससीसी 309 में रिपोर्ट किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जब क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से बनी विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है, तो उक्त सिफारिश पर उचित विचार किया जाना चाहिए क्योंकि विशेषज्ञ कार्य की तकनीकी/प्रकृति से अधिक परिचित हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि केवल तभी जब मूल्यांकन दुर्भावना या दुर्भावना या मनमानी से प्रेरित हो, न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि, वर्तमान मामले में, रिट याचिकाकर्ता ने ये आरोप नहीं लगाए हैं और न ही आरोपित निर्णय में इन मुद्दों पर कोई निष्कर्ष दिया गया है। इस प्रकार, जब विशेषज्ञ समिति के गठन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं उठाई गई थी और चयन समिति के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं जताई गई थी, तो न्यायालयों को विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय में हस्तक्षेप करने में देरी करनी चाहिए। इन तर्कों के समर्थन में, विद्वान वकीलों ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है: -

(i) **सजीश बाबू के. बनाम एन.के. संतोष एवं अन्य, (2012) 12 एससीसी 106** में रिपोर्ट किया गया।

(ii) **संघ लोक सेवा आयोग बनाम एम. साथिया प्रिया एवं अन्य, (2018) 15 एससीसी 796** में रिपोर्ट किया गया।

(iii) **बसवैया बनाम डॉ. एच.एल. रमेश एवं अन्य, (2010) 8 एससीसी 372** में रिपोर्ट किया गया।

7. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने इसके बाद प्रस्तुत किया कि चयन समिति के निर्णय पर अपील में बैठना और उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता और अवगुणों की जांच करना न्यायालयों का कार्य नहीं है क्योंकि न्यायालय के पास ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं है। चयन समिति के निर्णय में केवल सीमित आधारों पर हस्तक्षेप किया जा सकता है जैसे कि समिति के गठन में अवैधता या स्पष्ट रूप से अनियमितता या चयन को प्रभावित करने वाली इसकी प्रक्रिया या साबित हुई दुर्भावना। वर्तमान मामले में न्यायालय द्वारा मूल्यांकन किए गए उम्मीदवारों की तथाकथित तुलनात्मक योग्यता के आधार पर चयन को रद्द करना गलत है और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इन तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ताओं ने **दलपत अबासाहेब सोलंके**

और अन्य डॉ. बी.एस.महाजन एवं अन्य, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा रखा है। (1990) 1 एससीसी 305 में रिपोर्ट किया गया।

8. इसके बाद, यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की थी कि नियुक्ति की प्रक्रिया, विशेषज्ञ समिति की राय और नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान तय किए जाने वाले मानदंड विवाद में नहीं हैं, फिर भी इस माननीय न्यायालय द्वारा योग्यता के आवंटन की जांच विशेषज्ञ समिति के अपीलीय प्राधिकारी या अंकों के परीक्षक की तरह की गई है, जो न्यायिक समीक्षा के दायरे के स्थापित सिद्धांत के विपरीत है।

9. यह भी तर्क दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा चयन समिति के खिलाफ मनमानी का कोई आरोप नहीं लगाया गया है और न ही इस तरह का कोई निष्कर्ष विवादित निर्णय में दर्ज किया गया है, इसलिए विवादित आदेश को भी रद्द किया जाना चाहिए।

10. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विज्ञापन में केवल आवश्यक योग्यता निर्धारित की गई थी, तथा चयन समिति को विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त मानदंड तय करने का विवेकाधिकार दिया गया था। यह साक्षात्कार के समय तैयार किए गए आवेदन पत्र, साक्षात्कार पत्र और गणना पत्र में परिलक्षित हुआ था। जब विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी, जिसने प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता और अवगुणों की जांच की थी, तो विशेषज्ञ समिति के इस निर्णय पर अपील करना गलत था। इस स्तर पर, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि न तो विज्ञापन और न ही आवेदन पत्र ने विशेषज्ञ समिति के विवेकाधिकार को उम्मीदवारों की योग्यता प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की समीक्षा करने से प्रतिबंधित किया था। इस प्रकार, यहां तक कि आवेदन पत्र में आवश्यक रूप से उल्लेख नहीं किए गए लेकिन उम्मीदवार की योग्यता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों का भी साक्षात्कार के समय समिति द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है ताकि पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का न्याय किया जा सके, जो सार्वजनिक हित में है। चूंकि विज्ञापन, आवेदन पत्र, साक्षात्कार पत्र, आई.जी.आई.एम.एस. नियमों ने चयन समिति के विवेक को मान्यता दी, आवेदन पत्र में दिए गए विवरण को अंक आवंटित करते समय भरोसा

करने योग्य एकमात्र सूचना मानकर कृत्रिम अवरोध पैदा करना गलत था। इस स्तर पर, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चयन समिति द्वारा विचार के लिए कौन से जर्नल पेपर पात्र थे, यह निर्धारित करने में चयन मानदंडों पर न्यायिक समझ का गलत आरोपण किया गया है। ऐसा करने में, गणना अपीलकर्ता डॉ. कुमार चंदन के आवेदन पत्र का उल्लेख करते हुए केवल रिट याचिकाकर्ता के 9 पत्रों को मान्यता देते हुए सीमित कर दी गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विज्ञापन के साथ-साथ आवेदन पत्र में यह निर्धारित किया गया था कि उम्मीदवार को जर्नल पेपर पर एक पावर-पॉइंट प्रस्तुति देनी चाहिए। तदनुसार, अपीलकर्ता डॉ. कुमार चंदन ने 5 पेपर प्रस्तुत किए, जिन पर चयन समिति ने अपने विवेक से विचार किया। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अपीलकर्ता ने आवेदन पत्र में सर्वश्रेष्ठ 2 पेपर का उल्लेख किया है क्योंकि फॉर्म में क्रमांक 10 के कॉलम में सीमित स्थान दिया गया था। यह भी स्पष्ट किया गया कि क्रमांक 10 के विपरीत, क्रमांक 11 में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि यदि प्रदान किया गया स्थान अपर्याप्त है, तो विवरण एक अलग शीट में दिया जाना चाहिए।

10.1.इसके बाद, यह तर्क दिया गया कि साक्षात्कार पत्र के साथ आवेदन पत्र को पढ़ने में भी चयन समिति का विवेक झलकता है। जबकि आवेदन पत्र में पावर-पॉइंट कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए गए शोध पत्रों का उल्लेख नहीं था, सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार पत्रों में ऐसे शोध पत्रों के प्रमाण पत्र भी मांगे गए थे, ताकि ऐसे सभी उम्मीदवारों को समान अवसर और नोटिस दिया जा सके। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि यह देखते हुए कि एक शिक्षण पद के लिए, एक पीजी डिग्री धारक को डीएनबी डिग्री धारक पर वरीयता दी जानी चाहिए, चयन मानदंडों की प्रभावी रूप से समीक्षा की गई है जो स्वीकार्य नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आरोपित निर्णय में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि अपीलकर्ता डॉ. कुमार चंदन ने जानबूझकर या गलती से चयन प्रक्रिया में विसंगतियों, यदि कोई हो, में योगदान दिया है। वास्तव में, पूरी प्रक्रिया में अपीलकर्ता की कोई गलती नहीं है और इसलिए, चूंकि अपीलकर्ता के पक्ष में अधिकार अर्जित हो गया है, जो 2018 से सहायक प्रोफेसर (ऑर्थोपेडिक्स) के रूप में

कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, इसलिए उसे 5 साल की अवधि बीत जाने के बाद वंचित और दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

11. वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया है कि भले ही चयन प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां थीं, सबसे अच्छा, इस मामले को चयन समिति द्वारा पुनर्विचार के लिए मूल उत्तरवादी आई.जी.आई.एम.एस. को वापस भेजा जा सकता था। 3 उम्मीदवारों के अंकों की पुनर्गणना और मूल उत्तरवादी प्राधिकारी द्वारा विचार के लिए रिट याचिकाकर्ता की सिफारिश न्यायिक अतिक्रमण था, जिसने अपीलकर्ता डॉ. कुमार चंदन के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि कई अन्य उम्मीदवारों ने पदों के लिए आवेदन किया था और विशेषज्ञ समिति द्वारा, यदि कोई हो, सभी उम्मीदवारों को आवंटित अंकों का पुनर्मूल्यांकन, न कि केवल तीन उम्मीदवारों को, केवल उन उम्मीदवारों की योग्यता की पुष्टि करेगा जिन्होंने पद के लिए आवेदन किया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि **बैद्यनाथ यादव बनाम आदित्य नारायण रॉय और अन्य** के मामले में। **(2020) 16 एससीसी 799** में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चयन समिति को निर्देश जारी किया कि वह अंकों की गणना करने के बजाय सभी प्रासंगिक दस्तावेजों पर उचित विचार करके सभी उम्मीदवारों के नामों का पुनर्मूल्यांकन करे।

12. एल.पी.ए. संख्या 318/2021 में वर्तमान उत्तरवादी संख्या 3 अर्थात डॉ. निशांत कश्यप की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह प्रस्तुत किया है कि मूल रिट याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया के आधार पर योग्यता सूची तैयार करने को चुनौती नहीं दी है, बल्कि चुनौती को अंक प्रदान करने के मानदंड तक सीमित रखा है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश से डॉ. निशांत कश्यप का सहायक प्रोफेसर के पद पर चयन बाधित नहीं हुआ और एल.पी.ए. संख्या 318/2021 में अपीलकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। इसलिए, डॉ. निशांत कश्यप ने अलग से लेटर्स पेटेंट अपील दायर नहीं की है। यह तर्क दिया गया है कि न्यायालय को चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों के वास्तविक दिन-प्रतिदिन के कामकाज के समृद्ध अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवर लोगों से बनी चयन समिति की सिफारिशों के संबंध में अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित करने में बेहद अनिच्छुक होना चाहिए। यह आगे

प्रस्तुत किया गया है कि **नीलिमा मिश्रा बनाम हरिंदर कौर पेंटल और अन्य** के मामले में **(1990) 2 एससीसी 746** में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है कि शैक्षिक क्षेत्र में नियुक्तियों के मामले में, न्यायालय आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं करता है। यह आगे देखा गया है कि उच्च न्यायालय को चयन समिति का गठन करने वाले विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय और उसकी सिफारिश पर उचित ध्यान देना चाहिए। इस स्तर पर, विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते समय चयन समिति के जूते में कदम नहीं रख सकता है या यह जांचने के लिए अपीलीय भूमिका नहीं निभा सकता है कि चयन समिति द्वारा दिए गए अंक अत्यधिक हैं और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के अनुरूप नहीं हैं। चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन और मूल्यांकन करना समिति के सदस्यों पर ही छोड़ देना चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चयन समिति के निर्णय में केवल सीमित आधारों पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है जैसे कि समिति के गठन या इसकी प्रक्रिया में अवैधता या स्पष्ट रूप से अनियमितता या चयन को प्रभावित करने वाली सिद्ध दुर्भावना आदि। उक्त तर्क के समर्थन में, विद्वान वकीलों ने **दलपत अबासाहेब सोलंके और अन्य बनाम डॉ. बी.एस. महाजन और अन्य (सुप्रा)** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है।

13. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि व्यवस्थित अनियमितताओं के अभाव में, जो चयन प्रक्रिया की वैधता को नकारती हैं, सम्पूर्ण चयन को रद्द नहीं किया जा सकता। उम्मीदवारों को अधिक अंक दिए जाने चाहिए या नहीं, यह तय करना विशेषज्ञ समिति के विशेष अधिकार क्षेत्र में था और इसलिए, यह रिट न्यायालय के समक्ष किसी हमले का विषय नहीं हो सकता। यह भी तर्क दिया गया है कि जब चयन समिति किसी व्यक्ति के चयन की सिफारिश करती है, तो पक्षपात या पूर्वाग्रह के किसी आरोप के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि चयन समिति के निर्णय की सत्यता के संबंध में कोई अनुमान उत्पन्न होता है और पक्षपात या पक्षपात का आरोप लगाने वाले पक्ष को इसे साबित करना आवश्यक है। इस प्रकार, सदस्यों के खिलाफ दुर्भावना के अभाव में, चयन समिति द्वारा चयन पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उक्त तर्क के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **यूनियन ऑफ इंडिया एवं**

अन्य बनाम बिकाश कुआंर (2006) 8 एससीसी 192 के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है।

14. इसके बाद, यह प्रस्तुत किया गया है कि मूल्यांकन पत्रक के कॉलम (V) और (VII) पर हमले के संबंध में रिट याचिकाकर्ता का तर्क अनिवार्य रूप से उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने में चयन समिति द्वारा नियोजित व्यक्तिपरक मानदंडों पर हमला है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त तर्क असमर्थनीय है क्योंकि मूल्यांकन और मूल्यांकन को चयन समिति के सदस्यों पर छोड़ देना चाहिए।

15. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता का यह तर्क कि मामला स्वीकृत तथ्यों पर आधारित है, भी सही नहीं है और यह भ्रामक है। वर्तमान उत्तरवादी नंबर 1 डॉ. निशांत कश्यप की स्पष्ट, अस्पष्ट और बिना शर्त स्वीकृति के अभाव में, रिट याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकृत नहीं कहा जा सकता है। विद्वान वकील ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 का हवाला दिया है जो स्वीकृति को परिभाषित करती है। इसलिए, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश पारित करते समय एक त्रुटि की है और इसलिए इसे रद्द करने और अलग रखने की आवश्यकता है।

16. एल.पी.ए. संख्या 318/2021 में उत्तरवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता (मूल रिट याचिकाकर्ता - डॉ. पवन कुमार) ने तर्क दिया है कि चयन समिति ने वर्तमान अपीलकर्ता और उत्तरवादी संख्या 3 को अधिक अंक कैसे प्रदान किए हैं और उत्तरवादी संख्या 4 को उक्त समिति द्वारा गलत तरीके से कम अंक कैसे प्रदान किए गए। विद्वान अधिवक्ता ने मूल्यांकन पत्रक के कॉलम संख्या (V), (VI), (VII), (VIII) और (IX) का संदर्भ दिया है और उसके बाद विस्तार से बताया है कि चयन समिति ने मूल निजी प्रतिवादियों को अधिक अंक देकर और मूल रिट याचिकाकर्ता को कम अंक प्रदान करके त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एल.पी.ए. संख्या 318/2021 के अपीलकर्ता की नियुक्ति को सही रूप से रद्द कर दिया, जो रिट याचिका में मूल उत्तरवादी संख्या 4 था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि

चूंकि दो पद थे जिनमें मूल उत्तरवादी को मूल रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, इसलिए उत्तरवादी संख्या 1 यानी डॉ. निशांत कश्यप की नियुक्ति को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बाधित नहीं किया गया है। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त निजी उत्तरवादी ने अलग से अपील दायर करके विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 100 अंकों में से 25 अंक साक्षात्कार के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि 75 अंक विभिन्न शीर्षकों यानी मूल्यांकन पत्रक के कॉलम संख्या (III) से कॉलम संख्या (IX) के तहत आवंटित किए गए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि कॉलम (III) से कॉलम (IX) के लिए चयन समिति की वस्तुनिष्ठ संतुष्टि आवश्यक है, जबकि साक्षात्कार के लिए चयन समिति की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर विचार किया जाना है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने चयन समिति की व्यक्तिपरक संतुष्टि को चुनौती दी है, जिसमें याचिकाकर्ता को कम अंक दिए गए हैं और मूल निजी प्रतिवादियों को अधिक अंक दिए गए हैं और इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने चयन समिति की उक्त वस्तुनिष्ठ संतुष्टि पर विचार किया है, जो वास्तव में उक्त समिति का कार्य है जो एक प्रशासनिक प्रकृति का है और जब विद्वान एकल न्यायाधीश ने चयन समिति द्वारा अंक देने में अनियमितता पाई है, तो विद्वान एकल न्यायाधीश ने डॉ. कुमार चंदन की नियुक्ति को रद्द कर दिया है और नियुक्ति के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए मूल उत्तरवादी अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इस स्तर पर, यह इंगित किया गया है कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान अपीलों में इस आधार पर एक अलग आई.ए. दायर किया गया है कि अपीलकर्ता डॉ. कुमार चंदन ने नियुक्ति प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी की है, जिसके लिए वह वास्तव में पात्र नहीं थे। विद्वान अधिवक्ता ने उक्त आवेदन में किए गए कथनों का संदर्भ दिया है, जो अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दायर किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर अलग से आई.ए. को अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी ने सब कुछ खराब कर दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त धोखाधड़ी को मूल रिट याचिकाकर्ता ने अपील दायर करने के बाद देखा था और जब अपीलकर्ता डॉ. कुमार चंदन ने धोखाधड़ी से नियुक्ति प्राप्त की है, तो उनकी

नियुक्ति को रद्द किया जाना आवश्यक है। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि इन दोनों अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

17. अपीलकर्ता डॉ. कुमार चंदन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान कार्यवाही में मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया आई.ए. मान्य नहीं है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत शक्तियों का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है और जब मूल रिट याचिकाकर्ता ने इस तरह का आवेदन इस विलंबित चरण में दायर किया है, तो यह न्यायालय उस पर विचार नहीं कर सकता। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष इस तरह का तर्क नहीं रखा गया था, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने उस पहलू पर विचार नहीं किया है।

18. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात यह सामने आया कि मूल रिट याचिकाकर्ता ने मूल निजी प्रतिवादियों की नियुक्ति को चुनौती दी थी तथा यह भी प्रार्थना की गई थी कि उत्तरवादी प्राधिकारियों को आदेश दिया जाए कि वे संबंधित विज्ञापन के अनुसरण में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करें। यह ध्यान देने योग्य है कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता ने योग्यता/चयन सूची को चुनौती नहीं दी तथा केवल निजी प्रतिवादियों की नियुक्ति के बारे में शिकायत की। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से यह पता चलता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मूल याचिकाकर्ता तथा निजी प्रतिवादियों के गुण-दोषों की सूक्ष्मता से जांच की है तथा उसके पश्चात निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि किसी विशेष शीर्षक के अंतर्गत चयन समिति को याचिकाकर्ता को विशेष अंक देने चाहिए थे तथा किसी विशेष शीर्षक के अंतर्गत मूल निजी प्रतिवादियों को अंक नहीं देने चाहिए थे। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त अभ्यास करके चयन समिति के निर्णय पर अपील की है। इस प्रकार, वर्तमान अपीलों में, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि इस तरह के अभ्यास को विस्तार से करने में विद्वान एकल

न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया तरीका माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार है या नहीं।

19. इस स्तर पर, हम उन निर्णयों का उल्लेख करना चाहेंगे जिन पर पक्षों के विद्वान वकीलों ने भरोसा किया है। **संघ लोक सेवा आयोग बनाम एम. साथिया प्रिया एवं अन्य (सुप्रा)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैराग्राफ 17-22** में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

> *"17. चयन समिति में क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य करते हैं और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होते हैं, जिन्हें इस मामले में विशेषज्ञता हासिल होती है। हमारी राय में, जब एक उच्च स्तरीय समिति या विशेषज्ञ निकाय ने प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता पर विचार किया है, ग्रेडिंग का आकलन किया है और पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार किया है, तो कैट और उच्च न्यायालय को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में चयन समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन पर विचार करने की अनुमति नहीं है। प्रासंगिक रिकॉर्ड के आलोक में श्रेणियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और मूल्यांकन करने में कौन से मानदंड लागू होते हैं, यह सवाल विशेष रूप से चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जाना है। चूंकि कानून के अनुसार चयन करने का अधिकार चयन समिति को है और चयन समिति के सदस्यों को इस मामले में विशेषज्ञता प्राप्त है, इसलिए न्यायालयों के लिए ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना सामान्यतः संभव नहीं है, सिवाय उन मामलों के जहां मूल्यांकन की प्रक्रिया पक्षपात, दुर्भावना या मनमानी के आधार पर दूषित हो। न्यायालय का यह कार्य नहीं है कि वह अपने समक्ष आने वाले मामलों को चयन समिति के निर्णयों पर अपील के रूप में सुने और उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता की जांच करे। कोई उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय विधिवत गठित विशेषज्ञ निकाय यानी चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिए। न्यायालयों के पास ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का बहुत सीमित दायरा होता है।*
>
> *18. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विशेषज्ञ निकाय की राय सभी परिस्थितियों में स्वीकार्य नहीं हो सकती है और इसलिए यह कहना उचित*

नहीं होगा कि विशेषज्ञ निकाय की राय सभी परिस्थितियों में न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में, चयन समिति/नियुक्ति बोर्ड के निर्णय को अंतिम और निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता है। किसी अन्य दृष्टिकोण का बहुत खतरनाक परिणाम होगा और हमें लॉर्ड एक्टन के प्रसिद्ध शब्दों को याद रखना चाहिए "सत्ता भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती है, और पूर्ण सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट करती है"। ऐसे मामलों का फैसला करते समय उपर्युक्त सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा। हालाँकि, इस मामले में, यूपीएससी द्वारा दायर हलफनामे से यह स्पष्ट है कि चयन समिति जो कि एक विशेषज्ञ निकाय के अलावा और कुछ नहीं है, ने अनुभव, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक कारकों की सावधानीपूर्वक जांच की थी, जिन्हें आईपीएस के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करने से पहले विचार किया जाना आवश्यक था। चयन समिति ने वास्तव में प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता और अवगुणों की जांच की थी, जिसमें विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा गया था, और इसकी सिफारिशें यूपीएससी को भेजी गई थीं। यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि न्यायालयों को उस क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले सदस्यों से बनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के प्रति सम्मान और विचार दिखाना होगा, यदि समिति के निर्णय में दुर्भावना या मनमानी नहीं है। प्रशासनिक कानून में विकसित निष्पक्षता के सिद्धांत का उद्देश्य न्यायाधिकरणों और न्यायालयों को विशेषज्ञों के निर्णय पर अपीलीय प्राधिकरण में बदलना नहीं था। रिट अधिकार क्षेत्र की बाध्यताएँ - निस्संदेह, स्व-लगाई गई - अभी भी बनी हुई हैं। उन्हें अनदेखा करने से भ्रम और अनिश्चितता पैदा होगी। अधिकार क्षेत्र दिशाहीन हो सकता है।

19. इसमें कोई संदेह नहीं है कि चयन समिति राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए वर्गीकरण द्वारा निर्देशित हो सकती है, लेकिन अच्छे कारणों से चयन समिति अपना स्वयं का वर्गीकरण विकसित कर सकती है जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दिए गए ग्रेडिंग से भिन्न हो सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने यूपीएससी बनाम के. राजैया [यूपीएससी बनाम के. राजैया, (2005) 10 एससीसी 15: 2005 एससीसी (एलएंडएस) 738] में माना है, "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा", "अच्छा" और "अनुपयुक्त" के रूप में वर्गीकृत करने की शक्ति चयन समिति में निहित है। यह चयन प्रक्रिया से संबंधित कार्य है। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में राज्य प्राधिकारियों द्वारा दिया गया

वर्गीकरण चयन समिति पर बाध्यकारी नहीं है। ऐसा वर्गीकरण चयन समिति के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है और इसके लिए कोई कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि यह वांछनीय है कि राज्य सरकार के निर्णय से भिन्न ग्रेडिंग के मामले में, कारण दर्ज किए जाएं। लेकिन चयन समिति के कार्य की प्रकृति और विनियमन 5(4) के तहत सीमित शक्ति को ध्यान में रखते हुए, यह कानूनी आवश्यकता नहीं है कि राज्य सरकार के निर्णय से भिन्न किसी अधिकारी को वर्गीकृत करने के लिए कारण दर्ज किए जाएं। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि चयन समिति या यूपीएससी के खिलाफ कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रथम उत्तरवादी द्वारा दुर्भावना या पक्षपात का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

20. इस न्यायालय ने बार-बार यह टिप्पणी की है और निष्कर्ष निकाला है कि चयन समिति की सिफारिशों को दुर्भावना या वैधानिक नियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय अपीलीय प्राधिकरण या पंच के रूप में चयन समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए अपील न्यायालय की तरह नहीं बैठ सकते। यह विवेकाधिकार केवल चयन समिति को दिया गया है और न्यायालय शायद ही कभी किसी उम्मीदवार के चयन की जांच करने के लिए अपील न्यायालय के रूप में बैठते हैं; न ही न्यायालय का यह काम है कि वह प्रत्येक उम्मीदवार की जांच करे और उसकी राय दर्ज करे। चूंकि सं.लो.से.आ. द्वारा गठित चयन समिति में क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, इसलिए हमें उनके आकलन पर भरोसा करना होगा, जब तक कि वह दुर्भावना या दुर्भावना या मनमानी से प्रेरित न हो।

21. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ए.के. नरूला [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ए.के. नरूला, (2007) 11 एससीसी 10 : (2008) 1 एससीसी (एलएंडएस) 656] में, इस न्यायालय ने समान परिस्थितियों में इस प्रकार टिप्पणी की थी: (एससीसी पृष्ठ 17, पैरा 15)

"15. दिशा-निर्देश डी.पी.सी. को एक निश्चित सीमा तक यह अधिकार देते हैं कि उसे सी.आर. में दर्ज समग्र ग्रेडिंग से निर्देशित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह सी.आर. में प्रविष्टियों के आधार पर अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। डी.पी.सी. को प्रत्येक उम्मीदवार के प्रदर्शन का अलग-अलग समग्र मूल्यांकन करना आवश्यक है, लेकिन समान मानकों, मानदंडों

और मानदंडों को अपनाते हुए। केवल तभी जब मूल्यांकन की प्रक्रिया पक्षपात, दुर्भावना या मनमानी के आधार पर दूषित हो, तो चयन में हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। जहां डीपीसी ने सभी अभ्यर्थियों पर समान मानदंड और मानदंड लागू करते हुए निष्पक्ष, निष्पक्ष और उचित तरीके से कार्यवाही की है और डीपीसी द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया में कोई मनमानी नहीं हुई है, वहां न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा (एसबीआई बनाम मोहम्मद म्युनुद्दीन [एसबीआई बनाम मोहम्मद म्युनुद्दीन, (1987) 4 एससीसी 486: 1987 एससीसी (एलएंडएस) 464], यूपीएससी बनाम हिरण्यलाल देव [यूपीएससी बनाम हिरण्यलाल देव, (1988) 2 एससीसी 242: 1988 एससीसी (एलएंडएस) 484] और बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु राज्य [बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु राज्य, (2000) 8 एससीसी 395: 2001 एससीसी (एलएंडएस) 13])। समीक्षा डीपीसी ने मामले पर पुनर्विचार किया और विस्तृत कारण बताए कि उत्तरवादी का मामला आर.एस. विर्क के मामले के समान क्यों नहीं था। यदि उन परिस्थितियों में, समीक्षा डीपीसी ने 1-4-1987 से 31-3-1988 की अवधि के लिए उत्तरवादी की ग्रेडिंग को "अच्छा" से "बहुत अच्छा" में नहीं बदलने का फैसला किया, तो उत्तरवादी की समग्र ग्रेडिंग "अच्छी" बनी रही। उसे "अच्छे" की समग्र रेटिंग वाले अधिकारियों के ब्लॉक से "बहुत अच्छे" की समग्र रेटिंग वाले अधिकारियों के ब्लॉक में स्थानांतरित करने और 13-6-1990 की डीपीसी के संदर्भ में उसे पदोन्नत करने का कोई सवाल ही नहीं था। डीपीसी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या पक्षपात के किसी भी आरोप की अनुपस्थिति में और जिस तरीके से मूल्यांकन किया गया है, उसमें किसी भी मनमानी की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय [ए.के. नरुला बनाम भारत संघ, 2005 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 1162: (2005) 5 एसएलआर 215] यह निर्देश देने में उचित नहीं था कि उन्नयन का लाभ उत्तरवादी को दिया जाए, जैसा कि आर.एस. विर्क में किया गया था।

22. एम.वी. थिम्मैया बनाम यूपीएससी [एम.वी. थिम्मैया बनाम यूपीएससी, (2008) 2 एससीसी 119: (2008) 1 एससीसी (एलएंडएस) 409] में, इस न्यायालय ने इस विषय पर विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस प्रकार टिप्पणी की: (एससीसी पृ. 135-36, पैरा 30)

"30. हम यह समझने में विफल हैं कि न्यायाधिकरण व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कैसे बैठ सकता है और इस अभ्यास को करने के लिए चयन समिति का गठन कैसे कर सकता है। यह शक्ति न्यायाधिकरण को नहीं दी गई है और यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि चयन समिति का मूल्यांकन न्यायाधिकरण या अदालतों के समक्ष अपील के अधीन नहीं है। किसी को अपने मूल्यांकन के लिए चयन समिति को श्रेय देना होगा और यह अपील के अधीन नहीं है। उम्मीदवारों की एसीआर के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए, एक को बहुत अच्छा माना जा सकता है और दूसरे को अच्छा माना जा सकता है। यदि इस प्रकार के

हस्तक्षेप की अनुमति दी जाती है तो यह वस्तुतः ऐसा होगा कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय चयन समिति के रूप में बैठना शुरू कर देते हैं या चयन पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं। यह उनका क्षेत्राधिकार नहीं है, यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में स्पष्ट रूप से माना है। ..."

20. **बैद्यनाथ यादव बनाम आदित्य नारायण रॉय एवं अन्य (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैराग्राफ-4,4.1.,4.2.,4.3 एवं 10** में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"4. हमारे समक्ष विचारणीय विवाद का केन्द्र गैर-एससीएस अधिकारियों के आईएएस में चयन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा का दायरा है, जिसके लिए विधिवत गठित विशेषज्ञ निकाय द्वारा किए गए चयनों की न्यायिक समीक्षा को नियंत्रित करने वाली स्थिति का जायजा लेना महत्वपूर्ण है।

4.1.*अब तक यह बात पूरी तरह से तय हो चुकी है कि इस तरह की समीक्षा का दायरा सीमित है और न्यायाधिकरण या न्यायालय व्यक्तिगत उम्मीदवारों की योग्यता का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता। जैसा कि इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने एम.वी. थिमैया बनाम यूपीएससी [एम.वी. थिमैया बनाम यूपीएससी, (2008) 2 एससीसी 119 : (2008) 1 एससीसी (एलएंडएस) 409] में कहा है: (एससीसी पृष्ठ 131, पैरा 21)*

"21. अब सवाल उम्मीदवारों के चयन के संबंध में आता है। आम तौर पर चयन समिति की सिफारिशों को दुर्भावनापूर्ण इरादे या वैधानिक नियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय अपील न्यायालय की तरह चयन समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठ सकते। यह विवेकाधिकार केवल चयन समिति को दिया गया है और न्यायालय उम्मीदवारों के चयन की जांच करने के लिए अपील न्यायालय के रूप में शायद ही कभी बैठते हैं और न ही न्यायालय का काम प्रत्येक उम्मीदवार की जांच करना और अपनी राय दर्ज करना है।

4.2.इस दृष्टिकोण की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में की गई है, जिसमें एम. साथिया प्रिया [यूपीएससी बनाम एम. साथिया प्रिया, (2018) 15 एससीसी 796: (2019) 1 एससीसी (एलएंडएस) 146] में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ का हालिया निर्णय भी शामिल है, जिसके हम में से एक सदस्य थे। इस निर्णय में, इस न्यायालय ने ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय [यूपीएससी बनाम एम. साथिया प्रिया, डब्ल्यूपी संख्या 15367/2010, आदेश दिनांक 24-6-2013 (मैड)] द्वारा भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों के लिए यूपीएससी की चयन समिति द्वारा की गई

सिफारिशों के पुनर्मूल्यांकन को अलग रखते हुए, निम्नानुसार टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 812, पैरा 17)

"17. चयन समिति में क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य करते हैं और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होते हैं, जिन्हें इस मामले में विशेषज्ञता हासिल होती है। हमारी राय में, जब एक उच्च स्तरीय समिति या विशेषज्ञ निकाय ने प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता पर विचार किया है, ग्रेडिंग का आकलन किया है और पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार किया है, तो कैट और उच्च न्यायालय [यूपीएससी बनाम एम. साथिया प्रिया, डब्ल्यूपी संख्या 15367/2010, आदेश दिनांक 24-6-2013 (मैड)] को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में चयन समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन पर विचार करने की अनुमति नहीं है। प्रासंगिक रिकॉर्ड के आलोक में श्रेणियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और मूल्यांकन करने में कौन से मानदंड लागू होते हैं, यह सवाल विशेष रूप से चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जाना है। चूंकि कानून के अनुसार चयन करने का अधिकार चयन समिति को है और चयन समिति के सदस्यों को इस मामले में विशेषज्ञता प्राप्त है, इसलिए न्यायालयों के लिए ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना सामान्यतः संभव नहीं है, सिवाय उन मामलों के जहां मूल्यांकन की प्रक्रिया पक्षपात, दुर्भावना या मनमानी के आधार पर दूषित हो। न्यायालय का यह कार्य नहीं है कि वह अपने समक्ष आने वाले मामलों को चयन समिति के निर्णयों पर अपील के रूप में सुने और उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता की जांच करे। कोई उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय विधिवत गठित विशेषज्ञ निकाय यानी चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिए। न्यायालयों के पास ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का बहुत सीमित दायरा है।"

4.3. उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता के प्रश्नों को संबोधित करना उच्च न्यायालय का काम नहीं था, और न ही हमारे लिए ऐसा करना उचित है। हम केवल यह देख सकते हैं कि क्या पूरी चयन प्रक्रिया में वैधानिक नियमों का कोई गंभीर उल्लंघन हुआ था, या कोई पक्षपात, दुर्भावना या मनमानी थी। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए, गैर-एससीएस अधिकारियों के आईएएस में चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया पर फिर से विचार करना आवश्यक है।

***10.** किसी भी मामले में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश [आदित्य नारायण रॉय बनाम भारत संघ, 2018 एससीसी ऑनलाइन पैट 6164] जिसमें राज्य स्क्रीनिंग समिति को उत्तरवादी 1 के नाम की सिफारिश यूपीएससी को करने का*

निर्देश दिया गया था, पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर था। चयन प्रक्रिया में मनमानी का पता चलने पर, न्यायालय अधिक से अधिक राज्य स्क्रीनिंग समिति को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों पर उचित विचार करके सभी उम्मीदवारों के नामों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश जारी कर सकता था। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, न्यायालय को उम्मीदवारों की योग्यता पर निर्णय लेने और स्क्रीनिंग समिति के तर्क के स्थान पर अपने तर्क को प्रतिस्थापित करने का अधिकार नहीं था। जैसा भी हो, उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि स्क्रीनिंग समिति के समक्ष सत्रह उम्मीदवारों पर पुनर्विचार करने या चयन वर्ष 2014 के लिए पहले से की गई नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं है।"

21. **बसवैया (डॉ.) बनाम डॉ. एच.एल. रमेश एवं अन्य (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैराग्राफ 13, 20, 21 और 38** में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"13.विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त समिति ने दोनों अभ्यर्थियों की योग्यता, अनुभव और प्रकाशित कार्यों की गहन जांच की और उनकी नियुक्ति के पक्ष में सर्वसम्मति से अपनी सिफारिशें कीं। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलकर्ताओं की नियुक्तियां अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप की गई थीं। बेशक, रीडर के पद पर चयन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और तदनुसार आदेश जारी किए गए। जहां तक विशेषज्ञ समिति के गठन का सवाल है, किसी को कोई शिकायत नहीं थी और विशेषज्ञ समिति के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं जताई गई है।

***20.** विश्वविद्यालय द्वारा दायर हलफनामे से यह स्पष्ट है कि विशेषज्ञ समिति ने रेशम उत्पादन में रीडर के पद के लिए अपीलकर्ताओं का चयन करने से पहले उनकी योग्यता, अनुभव और प्रकाशित कार्य की सावधानीपूर्वक जांच की थी। हमारी सुविचारित राय में, पांच विशेषज्ञों वाली विशेषज्ञ समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों पर अपील में बैठने में डिवीजन बेंच उचित नहीं थी। विशेषज्ञ समिति ने वास्तव में प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता और समकक्ष प्रकाशित कार्य सहित गुण और दोषों की जांच की थी और इसकी सिफारिशें नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय को भेजी गई थीं जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।*

21. यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि न्यायालयों को क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से बनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के प्रति सम्मान और विचार दिखाना होगा। इस मामले में, विशेषज्ञों ने अपीलकर्ताओं की योग्यता, अनुभव और प्रकाशित कार्यों का

मूल्यांकन किया था और उसके बाद उनकी नियुक्तियों के लिए सिफारिशें की गई थीं। उच्च न्यायालय की खंडपीठ को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों पर अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठना चाहिए था।

38. हमने उपरोक्त निर्णयों पर विचार करके इस कानूनी स्थिति को दोहराया और पुष्टि की है कि शैक्षणिक मामलों में न्यायालयों की भूमिका बहुत सीमित है, खासकर तब जब चयन समिति में शामिल विशेषज्ञों के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं जताई गई हो। न्यायालयों के लिए यह सामान्यतः विवेकपूर्ण, स्वस्थ और सुरक्षित होगा कि वे निर्णय शिक्षाविदों और विशेषज्ञों पर छोड़ दें। सिद्धांत रूप में न्यायालयों को कभी भी विशेषज्ञों के निर्णयों पर अपील करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। न्यायालयों को शैक्षणिक मामलों में अपनी बाधाओं और सीमाओं को समझना चाहिए और उनका मूल्यांकन करना चाहिए।"

22. **दलपत अबासाहेब सोलंके एवं अन्य बनाम डॉ. बी.एस. महाजन एवं अन्य (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैराग्राफ 11 एवं 12** में निम्न प्रकार से टिप्पणी की है:-

"11. दोनों नियुक्तियों को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अगला कारण यह है कि अपीलकर्ता तुलनात्मक रूप से कम योग्य थे। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैराग्राफ 17 और 18 में इस बिंदु पर यही कहा है:

17. "एक्स.बी के बायोडाटा और जांच विवरण पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उत्तरवादी 7 को छोड़कर सभी मुख्य विस्तार शिक्षा अधिकारी और उप निदेशक, केंद्रीय फार्म के पद के लिए अल्प अवधि के लिए विचार किए जाने के लिए विधिवत योग्य और पात्र थे।"

18. "बायोडेटा एक्स. बी में बताए गए तुलनात्मक गुणों की बात करें तो,

जिसकी सत्यता पर किसी भी उत्तरवादी द्वारा विवाद नहीं किया गया, यह स्पष्ट है कि 1981 के डब्ल्यूपी 3363 में याचिकाकर्ता सहित कम से कम चार उम्मीदवार मुख्य विस्तार शिक्षा अधिकारी के रूप में विचार किए जाने/नियुक्त किए जाने के पात्र थे, लेकिन विश्वविद्यालय को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से 1975 और 1980 के बीच उक्त पद को विज्ञापित करने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी प्रयास क्यों नहीं किया गया। एक्स. बी में योग्यता की तुलनात्मक तालिका स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि याचिकाकर्ता एम.एससी. प्रथम श्रेणी था और वह 8 जुलाई, 1959 से 18 अप्रैल, 1963 तक कृषि पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहा था; 19 अप्रैल, 1963 से 12 मई, 1968 तक कृषि अधिकारी के रूप में; 13 मई, 1968 से 13 अगस्त,

1970 तक व्याख्याता के रूप में; 1 जून, 1970 से रीडर के रूप में। 1971 से और प्रासंगिक समय यानी वर्ष 1980 में वे एसोसिएट प्रोफेसर थे। इसके विपरीत उत्तरवादी 7 ने रिसर्च द्वारा अपना एम.एस.सी. पूरा किया है और दावा किया है कि उन्होंने 3.81 अंक अर्जित किए हैं जो उनके अनुसार प्रथम श्रेणी है। वे 28 मार्च 1971 से 31 मई 1973 तक कृषि अधिकारी, 31 मई 1973 से 14 जुलाई 1975 तक अधीक्षक, 15 मई 1975 से 11 जून 1978 तक सहायक प्रोफेसर और 14 जून 1978 से 700-1600 रुपये के वेतनमान पर सहायक प्रोफेसर रहे। इसके विपरीत याचिकाकर्ता 1 मई 1971 से रीडर था और यह विवादित नहीं था कि रीडर का पद कैडर और वेतनमान में सहायक प्रोफेसर से उच्चतर था। जैसा कि पहले कहा गया है कि अन्य उम्मीदवार जो सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे, वे भी इस पद पर कार्यरत थे। विश्वविद्यालय में एम.एससी. की डिग्री प्राप्त करने के बाद पांच वर्ष से अधिक सेवा करने के कारण भी वे पात्र थे। इस संदर्भ में हमें वर्ष 1980 में जारी रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन पर विचार करना होगा।

12. *इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि इस तथ्य के अलावा कि उच्च न्यायालय ने दोनों नियुक्तियों के मामलों को एक में शामिल कर लिया है, यद्यपि उनकी नियुक्तियाँ एक ही आधार पर आपत्तिजनक नहीं हैं, न्यायालय ने चयन समिति के निर्णय पर अपील में बैठना और उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता तय करना भी आवश्यक पाया है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि चयन समितियों के निर्णयों पर अपील सुनना और उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता की जांच करना न्यायालय का कार्य नहीं है। कोई उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसका निर्णय विधिवत गठित चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके पास उस विषय पर विशेषज्ञता है। न्यायालय के पास ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं है। चयन समिति के निर्णय में केवल सीमित आधारों पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है, जैसे कि समिति के गठन में अवैधता या स्पष्ट अनियमितता या चयन को प्रभावित करने वाली इसकी प्रक्रिया, या चयन को प्रभावित करने वाली साबित हुई दुर्भावना आदि। यह विवादित नहीं है कि वर्तमान मामले में विश्वविद्यालय ने प्रासंगिक क़ानूनों के अनुपालन में समिति का गठन किया था। समिति में विशेषज्ञ शामिल थे और इसने अपने समक्ष सभी प्रासंगिक सामग्री को देखने के बाद उम्मीदवारों का चयन किया। इस तरह से किए गए चयन पर अपील करने और उम्मीदवारों की तथाकथित तुलनात्मक योग्यता के आधार पर इसे अलग करने में, जैसा कि अदालत ने मूल्यांकन किया था, उच्च न्यायालय ने गलत किया और अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।*

23. **ओम प्रकाश पोपलाई और राजेश कुमार माहेश्वरी बनाम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड और अन्य** के मामले में **(1994) 2 एससीसी 117** में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैराग्राफ 5** में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"5. यह ध्यान देने योग्य है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा सदस्यों का चयन वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर किया जाना था, जिसमें अनुभव, व्यावसायिक योग्यता और इसी तरह के संबंधित कारकों को ध्यान में रखा गया था। वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि इनमें से प्रत्येक कारक, अर्थात् शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, वित्तीय पृष्ठभूमि और सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित प्रासंगिक कानूनों और प्रक्रियाओं का ज्ञान आदि के लिए कुछ प्रतिशत अंक आवंटित किए गए थे। आवंटित कुल अंकों में से केवल 20 प्रतिशत साक्षात्कार के लिए आरक्षित थे। इसलिए, विशेषज्ञ समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से उस समिति के सदस्यों की इच्छा पर नहीं छोड़ी गई थी। खेल का क्षेत्र 20 प्रतिशत तक सीमित था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सदस्य शामिल थे, इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि उन्होंने अनुचित या मनमाने ढंग से काम किया। विशेषज्ञ समिति का गठन ही यह दर्शाता है कि श्री बंसल समिति के अन्य सदस्यों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं थे, ताकि संतुलन को अपने बिरादरी के सदस्यों, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पक्ष में झुकाया जा सके। यह आरोप कि 69 चयनित व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, केवल इसलिए चयन सूची में आ गए क्योंकि श्री आर.एन. बंसल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उनके बिरादरी के लोगों को तरजीह दी गई, रिकॉर्ड पर विश्वसनीय सामग्री के अभाव में खारिज किया जाना चाहिए। यह सच है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा चुने गए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में ऐसे लोग भी हैं जो 1985, 1987 और 1988 में उत्तीर्ण हुए थे, जैसे कि महेश चंद गुप्ता, सतीश कुमार छाबड़ा, अनूप जैन, अशोक गुप्ता, अरुण कुमार और श्याम लाल शर्मा। केवल इसलिए कि बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का चयन किया गया था और केवल इसलिए कि उनमें से कुछ ने हाल ही में योग्यता प्राप्त की थी, चयन को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। प्रतिवादियों ने सही ही इस बात पर जोर दिया है कि चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को वित्तीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली और शेयरों के सार्वजनिक निर्गम की कार्यप्रणाली तथा पूंजी निर्गम नियंत्रक आदि के साथ व्यवहार का विशेष ज्ञान होता है, इसलिए वे साक्षात्कार में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस संबंध में केंद्र सरकार के कानून, दिशा-निर्देशों और नीतियों की जानकारी होती है। इसी प्रकार, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता को स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का पिछला अनुभव था और वह उच्च शिक्षित व्यक्ति था, विशेषज्ञ

समिति के सदस्यों की ईमानदारी और उनके चयन पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है। यह अवश्य ही समझा जाना चाहिए कि अधिकांश अंक वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर दिए गए थे और साक्षात्कारों की व्यवस्था पूंजी निर्गम, बोनस निर्गम, शेयरधारक सेवा और इसी तरह के क्षेत्र में वर्तमान विकास के संबंध में उम्मीदवारों के ज्ञान का पता लगाने के लिए की गई थी। यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे मामलों में न्यायालय की भूमिका सीमित है और यह किसी विशेषज्ञ निकाय द्वारा किए गए चयन पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं करता है जब तक कि यह ठोस और ठोस सबूतों से साबित न हो जाए कि चयन पक्षपातपूर्ण, मनमाना, मनमौजी या मनमाना था। हमारे विचार में, लगाए गए सामान्य आरोप चयन प्रक्रिया को तब तक रद्द नहीं कर सकते जब तक कि यह साबित करने के लिए ठोस तथ्य स्थापित न हो जाएं कि विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने श्री बंसल के कहने पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पक्ष लिया था। इसी तरह, यह भी दिखाया जाना चाहिए कि विशेषज्ञ समिति के सदस्य याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता के खिलाफ पक्षपाती थे; हालाँकि, वकील द्वारा कोई भी ऐसा नहीं बताया जा सका। इसलिए, हमें इस संबंध में याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता के तर्क को बरकरार रखना मुश्किल लगता है। जहाँ तक श्रीमती निर्मला के चयन का सवाल है, हमें लगता है कि उनका स्पष्टीकरण काफी संतोषजनक है। इसी तरह, जहां तक याचिकाकर्ता कमलेश कुमार जैन का सवाल है, उन्होंने भी अपनी शैक्षणिक योग्यता और पिछले अनुभव को बताने के अलावा कोई ऐसा आधार नहीं रखा है, जिससे इस न्यायालय को चयन प्रक्रिया पर संदेह हो। सदस्यों की संख्या बढ़ाने का उनका अनुरोध ऐसा मामला नहीं है, जिसके संबंध में यह न्यायालय आदेश जारी करना चाहेगा। यह नीति का मामला है, जैसा कि हमने पहले बताया है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और केंद्र सरकार के बीच लंबे पत्राचार के बाद सावधानीपूर्वक काम किया गया था और नीति के ऐसे मामलों में यह न्यायालय हमेशा हस्तक्षेप करने से कतराता है।"

24.**सदानंद हेलो एवं अन्य बनाम मोमताज़ अली शेख एवं अन्य** के मामले में **(2008) 4 एससीसी 619** में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैराग्राफ 65** में निम्नानुसार माना है:-

"65. हम उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को भी स्वीकार नहीं करते हैं, जिसमें तथ्यों और सूक्ष्म विवरणों को पक्षों की दलीलों के माध्यम से नहीं बल्कि अनावश्यक जांच के आधार पर जाना शामिल है। हम केवल नमूना सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों पर भरोसा करने के तर्क को भी अस्वीकार करते हैं। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के चयन को नमूना सर्वेक्षण के आधार पर

खारिज नहीं किया जा सकता था। इस तथाकथित "नमूना सर्वेक्षण" के अनुपात के बारे में हमारे सामने कोई सबूत उपलब्ध नहीं था।

25. **श्रीनिवास के. गौड़ा बनाम कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं अन्य** के मामले में **(2022) 1 एससीसी 49** में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैराग्राफ 25, 25.1, 25.2 और 26** में निम्नानुसार अवलोकन किया है:-

"25. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने [रमेश बनाम कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान, 2017 एससीसी ऑनलाइन कर 6516] अपीलकर्ता की नियुक्ति को दो आधारों पर रद्द कर दिया:

25.1.सबसे पहले, साक्षात्कार और अनुभव श्रेणी के लिए उम्मीदवारों को दिए गए अंक मनमाने माने गए। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, डिवीजन बेंच ने पूरी चयन सूची का संदर्भ लिया और अनुभव के लिए अंकों के आवंटन में कथित विसंगतियां पाईं और एक पैटर्न पाया जहां सभी चयनित उम्मीदवारों को अनुभव और साक्षात्कार के लिए उच्च अंक दिए गए थे।

25.2.दूसरा, खंडपीठ ने माना कि प्रथम उत्तरवादी द्वारा जारी विज्ञापन में कार्य अनुभव के मानदंड का उल्लेख नहीं किया गया था, बल्कि केवल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रदान की गई थी। इस प्रकार, इसने माना कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियम बदल दिए गए थे। अपीलकर्ता की नियुक्ति को खंडपीठ ने यह पाते हुए रद्द कर दिया कि अतिरिक्त चयन मानदंड और उन मानदंडों में दिए गए अंक मनमाने थे। जैसा कि पहले देखा गया था, चयन सूची को उत्तरवादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। चुनौती के लिए उसका एकमात्र आधार यह था कि उसे चुना जाना था क्योंकि वह "अधिक योग्य" था क्योंकि उसके पास बेहतर योग्यता अंक थे। इसलिए, चयन सूची की वैधता का निर्धारण करना और यह निर्धारित करने के लिए पूरी चयन सूची का अध्ययन करना कि क्या अपीलकर्ता का चयन मनमाना था, गलत था क्योंकि खंडपीठ ने रिट याचिका में चुनौती की सीमाओं का उल्लंघन किया था।

26. उपरोक्त कारणों से, हम अपील स्वीकार करते हैं और कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 31-3-2017 के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं [रमेश बनाम कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान, 2017 एससीसी ऑनलाइन कर 6516]। लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।"

26. **बेदंगा तालुकदार बनाम सैफुदुल्लाह खान एवं अन्य** के मामले में **(2011) 12 एससीसी 85** में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैराग्राफ 29 और 32** में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"29. हमने पूरे मामले पर विस्तार से विचार किया है। हमारी राय में, यह बात पूरी तरह से स्थापित है कि किसी भी सार्वजनिक पद पर सभी नियुक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी भी उम्मीदवार को कोई अनुचित पक्षपात दिखाए जाने के परिणामस्वरूप कोई मनमानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए, चयन प्रक्रिया को निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार ही संचालित किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, जब किसी विज्ञापन में किसी विशेष अनुसूची का उल्लेख किया जाता है, तो उसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। विज्ञापन की शर्तों और नियमों में कोई छूट नहीं दी जा सकती है जब तक कि ऐसी शक्ति विशेष रूप से आरक्षित न हो। ऐसी शक्ति प्रासंगिक वैधानिक नियमों में आरक्षित की जा सकती है। यदि नियमों में छूट देने की शक्ति प्रदान की गई है, तो भी विज्ञापन में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। नियमों में ऐसी शक्ति के अभाव में, विज्ञापन में इसका प्रावधान किया जा सकता है। हालांकि, यदि छूट देने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसका समुचित प्रचार किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि छूट के कारण पात्र होने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने और प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर मिले। उचित प्रकाशन के बिना विज्ञापन में किसी भी शर्त में छूट देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के अधिदेश के विपरीत होगा।

32. ऐसे निष्कर्षों के मद्देनजर, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और सामग्रियों के विपरीत है। यह स्थापित कानून है कि विज्ञापन में निहित नियमों और शर्तों में तब तक कोई छूट नहीं दी जा सकती जब तक कि संबंधित नियमों और/या विज्ञापन में छूट की शक्ति विधिवत रूप से सुरक्षित न हो। यहां तक कि अगर नियमों में छूट की शक्ति है, तो भी विज्ञापन में इसे विशेष रूप से इंगित करना होगा। वर्तमान मामले में, ऐसा कोई नियम हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रस्तुत पहचान पत्र के आधार पर उत्तरवादी 1 के दावे पर विचार करने के लिए विवादित निर्देश जारी नहीं कर सकता था, चयन सूची के प्रकाशन के साथ।

27. **बीजू के.के. बनाम कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोच्चि एवं अन्य (2022) 8 एससीसी 349** में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैराग्राफ 2, 4, 7 और 8** में निम्नानुसार अवलोकन किया है:-

"2. अपीलकर्ता - मूल रिट याचिकाकर्ता कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत इंजीनियरिंग स्कूल में दैनिक वेतन पर तकनीकी सहायक ग्रेड II के रूप में सेवारत था। उसे समय-समय पर अवकाश देकर दैनिक वेतनभोगी के रूप में सेवा में जारी रखा गया था। इसके बाद उसने उत्तरवादी विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24-7-2010 के अनुसार तकनीकी सहायक ग्रेड II के पद के लिए आवेदन किया। उसे रैंक सूची में बहुत नीचे रखा गया क्योंकि उसे दैनिक वेतनभोगी के रूप में दी गई उसकी पिछली सेवाओं की अनदेखी करते हुए अनुभव के आधार पर कम अंक दिए गए थे। इसलिए, उसने रिट याचिका संख्या 27538/2012 के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। रैंक सूची में शामिल अन्य सभी कर्मचारियों को भी रिट याचिका में पक्षकार बनाया गया।

4. जहां तक रिट याचिकाकर्ता के मामले का सवाल है, विद्वान एकल न्यायाधीश की राय थी कि चूंकि चयन समिति ने कुछ मानदंडों का पालन किया है और सभी उम्मीदवारों के संबंध में अनुभव के आधार पर अंक देने के लिए उन्हें अग्रेषित किया है, इसलिए इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है और न्यायालय के लिए न्यायिक समीक्षा के तहत शक्ति का प्रयोग करना और अन्यथा निर्णय लेना खुला नहीं है। रिट याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि यहां तक कि 6वें उत्तरवादी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी और वह पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पास कंप्यूटर साइंस लैब में अनुभव नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने फिर से टिप्पणी की कि चयन समिति ने पाया कि उत्तरवादी 6 द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र मानदंडों को पूरा करता है, और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था।

7. यह ध्यान देने योग्य है कि जिस बात को चुनौती दी गई थी, वह चयन समिति का निर्णय था और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय न लेना न्यायोचित नहीं था कि जब चयन समिति ने न्यायिक समीक्षा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया है, तो उच्च न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त परिस्थितियों में मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस भेजा जाना चाहिए।

8.उपरोक्त के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील आंशिक रूप से सफल होती है। खंडपीठ और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है। मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश को रिट याचिका पर नए सिरे से विचार करने के लिए भेजा जाता है कि क्या चयन समिति ने अपीलकर्ता द्वारा दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवाओं की अनदेखी करते हुए अनुभव के आधार पर अंक देने का औचित्य साबित किया था और क्या उत्तरवादी 6 विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित पात्रता मानदंडों को पूरा कर रहा था, अर्थात्, "कंप्यूटर विज्ञान में प्रथम श्रेणी डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेजों / विश्वविद्यालयों की संबंधित प्रयोगशालाओं में 3 साल का अनुभव"।

28. **दिसिमयी परिदा बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य** के मामले में **(2008) 10 एससीसी 687** में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैराग्राफ 4, 7, 11 और 14** में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"4. इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन के लिए उड़ीसा सरकार के डब्ल्यूईसीडी विभाग द्वारा दिनांक 7-10-1998 को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अन्य मानदंड निर्धारित किए गए थे; जिसका प्रासंगिक खंड इस प्रकार है:

"8. जिन अभ्यर्थियों को ऊपर उल्लिखित पैनल में शामिल किया गया है, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें निम्नलिखित तरीके से अंक दिए जाएंगे:

(क) मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत या गैर-मैट्रिकुलेट के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत जो भी प्रासंगिक हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी इंटरमीडिएट या समकक्ष है या उच्च योग्यता रखता है तो उसे 3 अंक मिलेंगे।

(ग) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से है तो उसे 5 अंक मिलेंगे।

(घ) यदि वह विवाहित है तो उसे 3 अंक मिलेंगे और यदि वह विधवा या तलाकशुदा है (अर्थात जहां विवाह न्यायालय के आदेश द्वारा विघटित हो गया है) तो उसे अतिरिक्त 3 अंक मिलेंगे, बशर्ते वह उस गांव में रहती हो।

(ङ) अनुभव के लिए अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक अनुभव आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कर्तव्यों के किसी भी क्षेत्र में सरकारी रोजगार में या राज्य/केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए वित्त पोषित किसी पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन के तहत किसी कार्यक्रम में रोजगार में अर्जित अनुभव होगा।

(च) साक्षात्कार में प्राप्त अंक अधिकतम 10 अंकों में से होंगे।

नोट.-उप-खण्ड (ए) से (ई) के अनुसार अभ्यर्थी को दिए गए अंक साक्षात्कार आयोजित करने से पहले अधिसूचित किए जाएंगे।

7. उत्तरवादी 5 ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अपनी भर्ती के लिए भी आवेदन दायर किया। उसने एचएससी परीक्षा में 49.8% अंक + इंटरमीडिएट में 3 अंक + विवाह के लिए 3 अंक + मौखिक परीक्षा के लिए 2 अंक प्राप्त किए, इस प्रकार कुल 57.8% अंक प्राप्त किए।

11. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती से संबंधित मामला किसी कानून द्वारा शासित नहीं है। भर्तियां केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार की जाती हैं। इसलिए, राज्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी परियोजनाओं में भर्ती करते समय, ऐसे दिशानिर्देश और/या परिपत्र जारी कर सकता है, जिन्हें वह उचित और उचित समझे। उक्त दिशानिर्देश आमतौर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए गठित चयन समितियों सहित "योजना" के अनुसार काम करने वाले सभी पदाधिकारियों पर बाध्यकारी हैं।

14. हमने मामले के इस पहलू पर ध्यान दिया था ताकि हम श्री प्रधान द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार कर सकें कि किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति का मानदंड प्रासंगिक नहीं है। यह कहना एक बात है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए राज्य द्वारा निर्धारित मानदंड अवैध या अधिकारहीन हैं, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि हालांकि वे वैध हैं, उनके आवेदन में कुछ छूट दी जा सकती है। जब नियम में मानदंड निर्दिष्ट करते हुए अंक तय किए जाते हैं, तो उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। चयन समिति को छूट देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। अंक देने के चरण तय होने के बाद, एक समिति दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकती थी। यदि प्रतिवादियों का तर्क सही है, तो, सभी आशय और अभिप्राय के लिए, साक्षात्कार समिति द्वारा अपीलकर्ता को दिए गए अंक 10 में से 12 होंगे, जो अस्वीकार्य था।

29. **ताजवीर सिंह सोढ़ी एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य** के मामले में, जिसकी रिपोर्ट **2023 लाइव लॉ (एससी) 253** में दी गई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैराग्राफ 12 एवं 13** में निम्न प्रकार से टिप्पणी की है:-

"12. आगे बढ़ने से पहले, हमारे निर्णय की प्रस्तावना इस दृष्टिकोण से करना आवश्यक है कि भारत में न्यायालय आम तौर पर सार्वजनिक रोजगार की चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से बचते हैं, चयन प्रक्रिया की स्वायत्तता और अखंडता को बनाए रखने के महत्व को पहचानते हैं। न्यायालय मानते हैं कि चयन की प्रक्रिया में उच्च स्तर की विशेषज्ञता और विवेक शामिल है और न्यायालयों के लिए चयन समिति के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय देना उचित नहीं है। यदि हम चयन बोर्ड का हिस्सा बनने वाले विशेषज्ञों के निर्णय की समीक्षा करने का जोखिम उठाते हैं, तो यह वास्तव में हमारे लिए पतली बर्फ पर चलने जैसा होगा। चयन प्रक्रिया और उसके परिणामों की न्यायिक समीक्षा के दायरे और सीमा पर कानून को निम्नलिखित मामले के कानून पर विचार करके समझा जा सकता है:

*i) **दलपत अबासाहेब सोलंके बनाम डॉ. बी.एस. महाजन, एआईआर 1990 एससी 434** में, इस न्यायालय ने चयन प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा के दायरे को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया:*

9.....इस बात पर जोर देना अनावश्यक है कि चयन समितियों के निर्णयों पर अपील सुनना और उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता की जांच करना न्यायालय का कार्य नहीं है। उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसका निर्णय विधिवत गठित चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके पास उस विषय पर विशेषज्ञता है। न्यायालय के पास ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं है। चयन समिति के निर्णय में केवल सीमित आधारों पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, जैसे कि समिति के गठन में अवैधता या स्पष्ट अनियमितता या चयन को प्रभावित करने वाली इसकी प्रक्रिया या चयन को प्रभावित करने वाली सिद्ध दुर्भावना आदि।

*(ii) इसी तरह, **सचिव (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य विभाग एवं एफ.डब्ल्यू. बनाम डॉ. अनीता पुरी, (1996) 6 एससीसी 282** में, इस न्यायालय ने चयन प्रक्रिया की पवित्रता और इसके परिणामों में हस्तक्षेप किए जाने के आधार के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:*

"9.....यह बात सर्वविदित है कि जब चयन लोक सेवा आयोग जैसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाता है, जिसे उस क्षेत्र में तकनीकी अनुभव और उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा भी सलाह दी जाती है, जिसके लिए चयन किया जाना है,

तो न्यायालयों को विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करना चाहिए, जब तक कि दुर्भावनापूर्ण आरोप न लगाए जाएं और साबित न हो जाएं। न्यायालयों के लिए ऐसे मामलों पर निर्णय विशेषज्ञों पर छोड़ना विवेकपूर्ण और सुरक्षित होगा, जो न्यायालयों की तुलना में उन समस्याओं से अधिक परिचित हैं जिनका वे सामना करते हैं। यदि विशेषज्ञ निकाय सभी प्रासंगिक कारकों पर उचित विचार करने के बाद किसी निर्दिष्ट पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता पर विचार करता है, तो न्यायालय को आमतौर पर ऐसे चयन और मूल्यांकन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

iii) इस स्थिति को इस न्यायालय ने ***एम.वी. थिम्मैया बनाम संघ लोक सेवा आयोग, (2008) 2 एससीसी 119*** *में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया:*

21.अब सवाल उम्मीदवारों के चयन के संबंध में आता है। आम तौर पर चयन समिति की सिफारिशों को दुर्भावनापूर्ण इरादे या वैधानिक नियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में चयन समिति की सिफारिशों की जांच नहीं कर सकते, जैसे अपील न्यायालय करता है। यह विवेकाधिकार केवल चयन समिति को दिया गया है और न्यायालय उम्मीदवारों के चयन की जांच करने के लिए अपीलीय न्यायालय के रूप में शायद ही कभी बैठते हैं और न ही न्यायालय का काम प्रत्येक उम्मीदवार की जांच करना और अपनी राय दर्ज करना है... 49

XXX

30. हम यह समझने में विफल हैं कि न्यायाधिकरण व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कैसे बैठ सकता है और इस अभ्यास को करने के लिए चयन समिति का गठन कैसे कर सकता है। यह शक्ति न्यायाधिकरण को नहीं दी गई है और यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि चयन समिति का मूल्यांकन न्यायाधिकरण या अदालतों के समक्ष अपील के अधीन नहीं है। किसी को अपने मूल्यांकन के लिए चयन समिति को श्रेय देना होगा और यह अपील के अधीन नहीं है। उम्मीदवारों की एसीआर के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए, एक को बहुत अच्छा माना जा सकता है और दूसरे को अच्छा माना जा सकता है। यदि इस प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति दी जाती है तो यह वस्तुतः ऐसा होगा कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय चयन समिति के रूप में बैठने लगे हैं या चयन पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने लगे हैं। यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में स्पष्ट रूप से माना है...।"

iv) ***ओम प्रकाश पोपलाई और राजेश कुमार माहेश्वरी बनाम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, (1994) 2 एससीसी 117,*** एक ऐसा मामला था जिसमें इस न्यायालय के समक्ष दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के चयन को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई थी, इस आधार पर कि उक्त उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति ने मनमाने ढंग से कुछ उम्मीदवारों का पक्ष लिया और इस प्रकार, अनुच्छेद 14 के विरुद्ध था। इस न्यायालय ने पक्षपात और पक्षपात के आरोप को निम्नलिखित रूप में मानते हुए खारिज कर दिया:

"5. .....विशेषज्ञ समिति द्वारा सदस्यों का चयन अनुभव, व्यावसायिक योग्यता और इसी तरह के संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर किया जाना था। वर्तमान मामलों में, हम पाते हैं कि इनमें से प्रत्येक कारक के लिए कुछ प्रतिशत अंक आवंटित किए गए थे, अर्थात्, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, वित्तीय पृष्ठभूमि और सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित 50 प्रासंगिक कानूनों और प्रक्रियाओं का ज्ञान आदि। आवंटित कुल अंकों में से केवल 20 प्रतिशत साक्षात्कार के लिए आरक्षित थे। इसलिए, विशेषज्ञ समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से समिति के सदस्यों की मर्जी पर नहीं छोड़ी गई थी। खेल का क्षेत्र 20 प्रतिशत तक सीमित था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सदस्य शामिल थे, इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि उन्होंने अनुचित या मनमाने ढंग से काम किया..."

12.1. इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए चयन प्रक्रिया के गुण-दोष पर विचार करना न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यह कार्य चयन समिति का विशेषाधिकार है और उसके विशेषज्ञ अधिकार क्षेत्र में है, हालांकि इसमें यह चेतावनी भी है कि यदि कोई गलत कार्य या वैधानिक नियमों के उल्लंघन के आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो केवल अंतर्निहित मनमानी के मामलों में ही न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं।

इस प्रकार, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय चयन समिति के स्थान पर कदम नहीं रख सकते हैं या यह जांचने के लिए अपीलीय भूमिका नहीं निभा सकते हैं कि मौखिक परीक्षा में चयन समिति द्वारा दिए गए अंक अत्यधिक हैं या नहीं और ऐसी परीक्षा में उनके प्रदर्शन के अनुरूप नहीं हैं। चयन समिति/साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और मूल्यांकन समिति के सदस्यों पर ही छोड़ देना चाहिए। इस स्थिति के मद्देनजर कि न्यायालय उचित रूप से

उचित चयन प्रक्रिया के तहत लिए गए निर्णय के खिलाफ अपील में नहीं बैठ सकता है, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए निम्नलिखित आधार, जो उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने में चयन बोर्ड/साक्षात्कार पैनल द्वारा नियोजित व्यक्तिपरक मानदंडों के हमले पर आधारित हैं, अर्थात्, (i) कि जिन उम्मीदवारों ने स्नातकोत्तर किया था, उन्हें 10 अंक दिए गए थे और मौखिक परीक्षा में, ऐसे पीजी उम्मीदवारों को 20 में से 18 अंक या 20 अंक दिए गए थे। (ii) कि हालांकि रिट याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था, अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया को पूरा करते समय मनमाने तरीके से काम किया था, कोई आधार नहीं होगा।

13. मामले का अगला पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह है रिट याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया दूषित हो गई थी क्योंकि 5 मई, 2008 के विज्ञापन नोटिस में निहित पात्रता मानदंड को बिना किसी उचित कारण के 12 जून, 2009 के शुद्धिपत्र के माध्यम से पुनः तैयार किया गया था। इस तर्क पर विचार करने के लिए, निम्नलिखित मामले के कानून पर ध्यान दिया जा सकता है:

*i) **मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य, (2010) 12 एससीसी 576** में, इस न्यायालय ने अधिकारपूर्वक घोषित किया कि किसी भी विरोध के बिना चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, किसी असफल उम्मीदवार के लिए बाद में चयन मानदंड को चुनौती देना संभव नहीं होगा।*

*(ii) **रमेश चंद्र शाह बनाम अनिल जोशी, (2013) 11 एससीसी 309** में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया गया था। लिखित परीक्षा पास करने में असफल रहे अभ्यर्थियों ने रिट याचिका प्रस्तुत की और विज्ञापन तथा चयन प्रक्रिया को रद्द करने की प्रार्थना की। उन्होंने दलील दी कि विज्ञापन और परीक्षा उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग फिजियोथेरेपिस्ट और व्यावसायिक चिकित्सक सेवा नियम, 1998 के प्रावधानों के विपरीत है। छूट और रोक के सिद्धांत पर कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने इस चुनौती पर विचार नहीं किया क्योंकि चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद इसे बनाए नहीं रखा जा सकेगा। इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:*

"24. उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित प्रस्तावों के मद्देनजर, यह माना जाना चाहिए कि चयन प्रक्रिया में इस पूर्ण ज्ञान के साथ भाग लेने से कि भर्ती सामान्य नियमों के तहत की जा रही है, प्रतिवादियों ने विज्ञापन या चयन करने के लिए बोर्ड द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के अपने अधिकार का परित्याग कर दिया था और विद्वान

एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रतिवादियों द्वारा की गई शिकायत पर विचार करके गंभीर गलती की है।

iii) इसी प्रकार, ***अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य, (2017) 4 एससीसी 357*** *में सिविल न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। उक्त मामले में 53 चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाना था, जिसके लिए नियमानुसार क्रमशः 85% और 15% अंक निर्धारित थे। लिखित परीक्षा में उपस्थित 27 (सत्ताईस) अभ्यर्थियों में से 14 (चौदह) उत्तीर्ण हुए। उनका साक्षात्कार लिया गया। समिति ने योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया और सूची तैयार की। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर चयन सूची को मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए पूर्णांकों का अनुपात 90:10 होना चाहिए था और लिखित परीक्षा में अर्हक अंक 45 होने चाहिए थे। इसके बाद एक नई प्रक्रिया अपनाई गई जिसमें लिखित परीक्षा (पूर्ण अंक-90 और अर्हता अंक-45) और साक्षात्कार (10 अंक) शामिल थे। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर परिणाम घोषित किए गए और 6 (छह) व्यक्तियों को तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्त किया गया। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने 4 (चार) अन्य असफल अभ्यर्थियों के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें प्रशासनिक पक्ष ने प्रारंभिक चयन सूची को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। प्राथमिक आधार यह था कि नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई थी, क्योंकि संबंधित नियमों के तहत लिखित परीक्षा में 85 अंक और साक्षात्कार में 15 अंक होने चाहिए थे। इस न्यायालय ने इस आधार पर अपील खारिज कर दी कि जब नई चयन प्रक्रिया हुई तो अपीलकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया था कि लिखित परीक्षा में 90 अंक और साक्षात्कार में 10 अंक होंगे। न्यायालय का मानना था कि अपीलकर्ताओं ने बिना किसी आपत्ति के चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और बाद में पाया गया कि वे सफल नहीं हुए, इसलिए उनके कहने पर प्रक्रिया को चुनौती देने से मना किया गया। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:*

"13.इस विषय पर कानून इस न्यायालय के कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है। चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला में, इस न्यायालय ने यह सिद्धांत निर्धारित किया कि जब कोई उम्मीदवार बिना किसी आपत्ति के परीक्षा में शामिल होता है और बाद में पाया जाता है कि वह सफल नहीं हुआ है, तो प्रक्रिया को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। किसी परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता, जब कोई उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुआ हो और उसने उसमें भाग लिया हो। वह बाद में पलटकर यह तर्क नहीं दे सकता कि प्रक्रिया अनुचित थी या उसमें कोई कमी थी,

केवल इसलिए कि परिणाम संतोषजनक नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एस. विनोद कुमार (2007) 8 एससीसी 100 में, इस न्यायालय ने माना कि: "18. यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि जिन उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, उन्हें इसमें निर्धारित प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी थी, वे इस पर सवाल उठाने के हकदार नहीं थे (मुनिंद्र कुमार बनाम राजीव गोविल (1991) 3 एससीसी 368 और रश्मि मिश्रा बनाम एमपी लोक सेवा आयोग (2006) 12 एससीसी 724 भी देखें)"

13.1. इसलिए यह सामान्य बात है कि उम्मीदवार, बिना किसी आपत्ति या विरोध के चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, असफल घोषित होने के बाद उसे चुनौती नहीं दे सकते। उम्मीदवार एक ही समय में अनुमोदन और निंदा नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, केवल इसलिए कि चयन प्रक्रिया का परिणाम किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं आया, वह यह आरोप नहीं लगा सकता कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी या प्रक्रिया में कुछ कमी थी। इसलिए, हम पाते हैं कि इन मामलों में रिट याचिकाकर्ता, चयन मानदंडों को फिर से तैयार करने के पीछे के औचित्य पर न्यायालय के समक्ष सवाल नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उन्होंने मानदंडों को फिर से तैयार किए जाने के बाद भी स्वेच्छा से चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। संशोधित मानदंडों के आलोक में उनकी उम्मीदवारी वापस नहीं ली गई। चयन प्रक्रिया में उन्हें असफल घोषित किए जाने के बाद ही उनके विरुद्ध चुनौती दी गई, जिस स्तर पर छूट और स्वीकृति के सिद्धांत के आलोक में चुनौती पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

13.2.सदानंद हेलो मामले में इस न्यायालय ने कहा है कि छूट के नियम का एकमात्र अपवाद चयन बोर्ड की ओर से दुर्भावना का अस्तित्व है। वर्तमान मामले में, हम चयन प्रक्रिया में कोई दुर्भावना या मनमानी नहीं पा सके हैं और इसलिए उक्त अपवाद को लागू नहीं किया जा सकता है।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों से यह कहा जा सकता है कि शैक्षणिक क्षेत्र में नियुक्तियों के मामले में न्यायालय सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करता है तथा न्यायालय को चयन समिति के गठन करने वाले विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय तथा उसकी अनुशंसा पर उचित ध्यान देना चाहिए। न्यायालय को सामान्यतः अपने अधिकार क्षेत्र में आदेश पारित करने में बहुत धीमी गति से काम करना चाहिए क्योंकि शैक्षणिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों को सामान्यतः निर्णय पर छोड़ देना चाहिए तथा न्यायालय को उनमें तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब उसे लगे कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। यह भी

माना गया है कि चयन समिति के निर्णय में केवल सीमित आधारों पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है जैसे कि समिति के गठन में अवैधता या स्पष्ट अनियमितता या चयन को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया या चयन को प्रभावित करने वाली साबित दुर्भावना आदि। इसके अलावा, यह माना गया है कि जब चयन समिति किसी व्यक्ति के चयन की सिफारिश करती है, तो किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के आरोप के अभाव में इसे गलत या यांत्रिक तरीके से किया गया नहीं माना जा सकता है। सदस्यों के खिलाफ दुर्भावना के अभाव में, चयन समिति द्वारा चयन पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, व्यवस्थित अनियमितता की अनुपस्थिति में, जो चयन अभ्यास की वैधता को नकारती है, पूरे चयन को अलग नहीं रखा जा सकता है। यह भी माना गया है कि चयन समिति के निर्णयों पर अपील सुनना और उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता की जांच करना न्यायालयों का कार्य नहीं है, न्यायालय के पास ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं है। चयन समिति के निर्णय में केवल सीमित आधारों पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है, जैसे कि समिति के गठन या इसकी प्रक्रिया में अवैधता या स्पष्ट अनियमितता, जिससे चयन प्रभावित हो या दुर्भावनापूर्ण इरादे साबित हों।

31.माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों की, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, तथा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच की जाए, तो यह पता चलेगा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह पाया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया, विशेषज्ञ समिति की राय तथा नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान तय किए जाने वाले मानदंडों के संबंध में कोई भी बिंदु वर्तमान मामले में विवादित नहीं है, तथा इसके बाद यह पाया गया कि, इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उद्धृत मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून मूल प्रतिवादियों के लिए सहायक नहीं हैं। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक ओर तो यह टिप्पणी की है कि नियुक्ति की प्रक्रिया विवादित नहीं है, विशेषज्ञ समिति की राय भी विवादित नहीं है और नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान तय किए गए मानदंड भी विवादित नहीं हैं, तथापि, दूसरी ओर विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस बात पर विस्तार से चर्चा की है कि याचिकाकर्ता को अधिक अंक क्यों दिए जाने की आवश्यकता थी और चयन समिति ने निजी प्रतिवादियों को अधिक अंक कैसे प्रदान किए हैं। विद्वान एकल

न्यायाधीश ने मूल्यांकन पत्र के प्रत्येक शीर्ष और विशेष रूप से शीर्ष संख्या (V) से (X) की जांच की और उसके बाद पाया कि चयन समिति ने गलत तरीके से निजी प्रतिवादियों को अधिक अंक और याचिकाकर्ता को कम अंक प्रदान किए हैं और इस प्रकार, आरोपित आदेश पारित किया।

32. हमारा मानना है कि वर्तमान मामले में, आठ सदस्यों की चयन समिति, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, ने 22 उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया और समान मानदंड अपनाते हुए 22 उम्मीदवारों में से प्रत्येक को विभिन्न शीर्षकों के तहत अंक प्रदान किए। इस न्यायालय के लिए विस्तार में जाना और फिर चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय की जांच करना खुला नहीं होगा। हमारा मानना है कि शीर्षक (III) से (IX) के तहत अंक प्रदान करना चयन समिति का यांत्रिक अभ्यास या मात्र प्रशासनिक कार्य या लिपिकीय कार्य नहीं कहा जा सकता है और विभिन्न शीर्षकों के तहत अंक प्रदान करते समय समिति को प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आरोपित अभ्यास को इस तरह से अंजाम दिया है मानो विद्वान एकल न्यायाधीश चयन समिति के निर्णय के खिलाफ मूल याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील का फैसला कर रहे हों। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चयन समिति के निर्णय पर अपील में बैठने जैसी कवायद अनुमेय नहीं है। यह सर्वविदित है कि इस प्रकार के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और चयन समिति के निर्णय में केवल कुछ परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप किया जा सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने चयन समिति की ओर से किसी भी प्रकार की दुर्भावना, पक्षपात या पक्षपात का आरोप नहीं लगाया है और न ही चयन समिति की नियुक्ति और उक्त चयन समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई अवैधता या अनियमितता है। यहां तक कि चयन समिति के निर्णय को भी मनमाना नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, हमारा मानना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्येक शीर्षक के तहत याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादी को दिए गए अंकों की विस्तृत जांच करके न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर का निर्णय लिया है। तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाना आवश्यक है।

33. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, ये दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाता है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूँः (रुद्र प्रकाश मिश्रा, न्यायमूर्ति)

(रुद्र प्रकाश मिश्रा, न्यायमूर्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।